तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
16/12/2025	वकील अपीलान्ट हाजिर। रेस्पोंडेन्ट संख्या 01 की तामील रिपोर्ट अप्राप्त। लेहन्तगार तामील रिपोर्ट दिनांक 24/12/2025 को पेश हो। सहायक (उपखण्ड अधिकारी) कपासन जिला-चित्तौड़गढ़
24/12/2025	वकील अपीलान्ट हाजिर। रेस्पोंडेन्ट संख्या 01 की RIAD सहित तामील रिपोर्ट प्राप्त। RIAD को एक माह से अधिक हो गया है। तामील मानी जाती है। प्रतिवादी सूचना के हाजिर नहीं। बार-बार आवाज लगाई गई हाजिर नहीं। एक तरफा कार्यवाही की जाती है। बहस अपील सुनी गई। संक्षिप्त मे विवरण इस प्रकार है कि ग्राम पंचायत लागांव के इन्तकाल नम्बर 1354 दिनांक 17/5/2024 मे मृतक नानालाल के पारिवारिक बालान्तरण मे अपीलान्ट संख्या 4 का नाम सहखातेदार के दर्ज होने से रद्द कर इस बाबत अपील पेश कर इन्तकाल संख्या 1354 निरस्त किया जाकर जमीन इन्तकाल खोले जाने हेतु अपील पेश की गई व धारा 5 लिमिटेशन का तामील पत्र साथ मे पेश किया गया। इसमे धारा 5 लिमिटेशन अधिनियम पर बहस सुनी। तामील पत्र स्वीकार किया जाता है। अपील अपीलान्टगण स्वीकार कि आधार यह निर्णय दिया जाता है कि ग्राम पंचायत लागांव के इन्तकाल संख्या 1354 दिनांक 17/5/2024 निरस्त किया जाकर यह आदेश दिया जाता है कि तहसीलदार कपासन मृतक नाना लाल के पारिवारिक की जांच कर नियमानुसार जमीन बालान्तरण दर्ज करे। खाली के फल कुमार होकर सरकार के नाम हो। फैसला सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
कपासन जिला-चित्तौड़गढ़